पंचायत समिति शिलाई, जिला सिरमौर के लेखों का
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01.04.2019 से 31.03.2024
भाग-1

1. (क) प्रस्तावना :-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत पंचायत समिति शिलाई, जिला सिरमौर के अवधि 01.04.2019 से 31.03.2024 के लेखों का प्रथम अंकेक्षण निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान पंचायत समिति में निम्नलिखित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अध्यक्ष व सचिव कार्यरत रहे:-

मुख्य कार्यकारी अधिकारी:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1	श्री कंवर सिंह	01.04.2019 से 10.6.2019
2	श्री कंवर तनमय सिंह	11.06.2020 से 01.10.2020
3	श्री रवि प्रकाश जोशी	08.10.2020 से 21.10.2020
4	श्री विनीत कुमार ठाकुर	22.10.2020 से 22.02.2022
5	श्री सुरेश कुमार सिंघा	04.03.2022 से 04.04.2022
6	श्री अजय कुमार सूद	05.04.2022 से 31.03.2024

अध्यक्ष :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1	श्रीमती रेणु बाला	01.03.2019 से 29.01.2021
2	श्रीमती अनीता देवी	30.01.2021 से लगातार

सचिव:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री बंसी राम, उप निरीक्षक	01.04.2019 से 19.03.2021
2.	श्री राजेन्द्र मणि, निरीक्षक	20.03.2021 से 22.07.2021

3.	श्री बंसी राम, उप निरीक्षक	23.07.2021 से 08.09.2022
4.	श्री बालक राम, निरीक्षक	09.09.2022 से 14.10.2022
5.	श्री बंसी राम, उप निरीक्षक	15.10.2022 से 12.02.2023
6.	श्री बालक राम, निरीक्षक	13.02.2023 से 28.02.2023
7.	श्री सुरेन्द्र सिंह, निरीक्षक (कार्यवाहक)	11.03.2024 से 31.03.2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

पंचायत समिति शिलाई, जिला सिरमौर के लेखों अवधि 01.04.19 से 31.03.24 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैं :-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1)	6.3	अनुदान उपयोग हेतु शेष।	171.90
2)	7	दुकान किराये की वसूली न करना।	0.63
3)	8	आपूर्तिकर्ता को दोहरा भुगतान	3.56
4)	9.1, 10.1, 10.2 व 10.3	अनियमित वेतन भुगतान बारे।	4.22
5)	11.1 व 12.1	अनियमित भुगतान/व्यय करना।	1.12
6)	12.2 व 12.3	निर्माण कार्यों संबंधी अभिलेख प्रस्तुत न करना	9.84
7)	12.4, 12.5 व 12.6	निर्माण कार्यों में अनियमित/अधिक भुगतान करना।	0.38

भाग-2

2. वर्तमान अंकेक्षण :-

पंचायत समिति शिलाई, जिला सिरमौर के अवधि 04/2019 से 03/2024 तक के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री कविन्द्र कंवर, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 23.10.2024 से 21.11.2024 तक पंचायत समिति शिलाई, जिला सिरमौर में किया गया। पंचायत समिति शिलाई, जिला सिरमौर द्वारा अंकेक्षण अवधि दौरान दो रोकड़ बहियों अर्थात स्वयं स्त्रोत व अनुदान (समेकित) व 15वां वित्तायोग का रख-रखाव किया गया था। आय व्यय की विस्तृत जांच हेतू मास

चयन निम्न तालिका के अनुसार स्व: स्त्रोतों की आय तथा पंचायत समिति के कुल व्यय के आधार पर किया गया :-

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2019-20	09/2019	10/2019
2020-21	07/2020	07/2020
2021-22	07/2021	02/2022
2022-23	08/2022	08/2022
2023-24	01/2024	06/2023

अस्वीकरण :- इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत समिति के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है | उक्त पंचायत समिति द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी गलत सूचना / अभिलेख के अपूर्ण / गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतू हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा" ।

3. अंकेक्षण शुल्क :-

पंचायत समिति शिलाई, जिला सिरमौर के अवधि 04/2019 से 03/2024 तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹19000/- बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित करने हेतू अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 12 दिनांक 21/11/2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में पंचायत समिति द्वारा निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को उक्त अंकेक्षण शुल्क जमा करने का आश्वाशन दिया।

4. वित्तीय स्थिति:-

4.1 सचिव, पंचायत समिति द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या KK/SO/2024-Vol.I-58 दिनांक 29.10.2024 के प्रत्युतर में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार पंचायत समिति के अवधि 04/2019 से 03/2024 के लेखों की संकलित वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण सलंग्न **परिशिष्ट-1** पर दिया गया है :-

संकलित वित्तीय स्थिति					
वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	प्राप्तियां (₹)	कुल योग (₹)	भुगतान (₹)	अंतिम शेष (₹)
2019-20	7324352.59	31777678.00	39102030.59	26194074.00	12907956.59
2020-21	12907956.59	26961945.00	39869901.59	27217825.00	12652076.59
2021-22	12652076.59	31194327.00	43846403.59	26915129.00	16931274.59
2022-23	16931274.59	40119514.00	57050788.59	35875391.00	21175397.59
2023-24	21175397.59	35054460.00	56229857.59	39039914.00	17189943.59

4.2 बैंक समाधान विवरणी: -

रोकड़ बही अनुसार दिनांक 31.03.24 को अन्त शेष ₹ 17189943.59

बैंक अनुसार दिनांक 31.03.24 को अन्त शेष **(परिशिष्ट – 2)** ₹ 16683247.59

अन्तर **₹506696.00**

दिनांक 31.03.24 को रोकड़ बही तथा बैंक खातों में ₹506696 का अन्तर था जिसकी बैंक समाधान विवरणी निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट – 2** पर दिया गया है:-

	विवरण			राशि (₹)
	दिनांक 31.03.24 को रोकड़ बहियों अनुसार अंतशेष			**17189943.59**
जमा:	बैंक ब्याज जो स्व: स्त्रोत की रोकड़ बही में दर्ज नहीं पाया गया :-			(+) 54312.00
	खाता स0	दिनांक	राशि (₹)	
	5681010559	31.03.2024	49693.00	
	56810110428	31.03.2024	1018.00	
	56810126391	31.03.2024	3601.00	
जमा:	राशि जो निम्न प्रकार से स्व: स्त्रोत बैंक स0 5681010559 में बैंक द्वारा ₹35053 के स्थान पर ₹35033 अथवा ₹20 कम डेबिट की गई :-			(+)120.00
	दिनांक	**राशि (₹)**		
	06.01.2022	20.00		
	06.01.2022	20.00		
	05.02.2022	20.00		
	05.02.2022	20.00		
	10.03.2022	20.00		
	10.03.2022	20.00		

<table>
<tr><td rowspan="5">जमा:</td><td colspan="2">बैंक ब्याज खाता स0 56810127556 जो 15वें वित्त आयोग की रोकड़ बही में दर्ज नहीं पाया गया :-</td><td rowspan="5">(+)157527.00</td></tr>
<tr><td>दिनांक</td><td>राशि (₹)</td></tr>
<tr><td>30.06.2023</td><td>61254</td></tr>
<tr><td>30.09.2023</td><td>56493</td></tr>
<tr><td>31.03.2024</td><td>39780</td></tr>
<tr><td rowspan="3">घटाव:</td><td colspan="2">15 वें वित्त योग ऑनलाइन रोकड़ बही में तकनीकी त्रुटि के कारण गलत दर्ज अथवा प्राप्त हुई राशि जो बैंक विवरणी में दर्ज नहीं पाई गई:-</td><td rowspan="3">(-)708155.00</td></tr>
<tr><td>वाउचर स0 / दिनांक</td><td>राशि (₹)</td></tr>
<tr><td>XVFC/2023-24R/1 दिनांक 23.08.2023</td><td>708155</td></tr>
<tr><td>घटाव:</td><td colspan="2">15वें वित्त आयोग की असमायोजित राशि (Unreconciled amount)</td><td>10500</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">दिनांक 31.03.24 को बैंक का अन्तशेष</td><td>16683247.59</td></tr>
</table>

4.3 ₹ 0.11 लाख की बैंक समाधान विवरणी प्रस्तुत न करना: -

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 15(10) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करते हुए बैंक समाधान विवरणी को तैयार किया जाना अनिवार्य है। परन्तु पंचायत समिति के लेखों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि दिनांक 31.03.2024 को ग्राम पंचायत द्वारा पैरा 4.2 में वर्णित रोकड़ बही व बैंक शेषों में निम्न विवरणानुसार ₹10500 के अंतर की बैंक समाधान विवरणी प्रस्तुत नहीं की गई जो कि अनियमित व आपतिजनक है। परिणामस्वरूप किसी भी वित्तीय अनियमितता की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता :-

निधि/योजना का नाम	अंतर की राशि (₹)
15वा वित्त आयोग	10500.00

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 2 दिनांक 05.11.2024 के द्वारा कार्यकारी अधिकारी, पंचायत समिति शिलाई को उक्त अंतर की राशि बारे अंकेक्षण को अवगत करवाने का आग्रह किया गया परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। अत: उक्त राशि के अंतर की राशि की बैंक समाधान विवरणी शीघ्र तैयार करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

4.4 ₹9.20 लाख रोकड़ बही तथा बैंक खातों में अन्तर का लेखांकन न करना :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि **परिशिष्ट-2** के अनुसार दिनांक 31.03.24 को रोकड़ बही व बैंक शेषों में ₹920114 के अन्तर का समाधान किया गया था जिसका विवरण निम्न तालिका में भी दिया गया है। परन्तु समाधान से सम्बन्धित लेखों/रोकड़ बही में सुधारात्मक प्रविष्टियाँ/लेखांकन नहीं किया गया था। अतः इस सम्बन्ध में शीघ्र अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए :-

विवरण			राशि (₹)
बैंक ब्याज जो स्व: स्त्रोत की रोकड़ बही में दर्ज नहीं पाया गया :-			54312.00
खाता स0	दिनांक	राशि (₹)	
5681010559	31.03.2024	49693.00	
56810110428	31.03.2024	1018.00	
56810126391	31.03.2024	3601.00	
राशि जो निम्न प्रकार से स्व: स्त्रोत बैंक स0 5681010559 में बैंक द्वारा ₹35053 के स्थान पर ₹35033 अथवा ₹20 कम डेबिट की गई :-			120.00
दिनांक	राशि (₹)		
06.01.2022	20.00		
06.01.2022	20.00		
05.02.2022	20.00		
05.02.2022	20.00		
10.03.2022	20.00		
10.03.2022	20.00		
बैंक ब्याज खाता स0 56810127556 जो 15वें वित्त आयोग की रोकड़ बही में दर्ज नहीं पाया गया :-			157527.00
दिनांक	राशि (₹)		
30.06.2023	61254		
30.09.2023	56493		
31.03.2024	39780		
15वें वित्त योग ऑनलाइन रोकड़ बही में तकनीकी त्रुटि के कारण गलत दर्ज अथवा प्राप्त हुई राशि जो बैंक विवरणी में दर्ज नहीं पाई गई			708155.00
कुल			**920114**

4.5 स्वः स्त्रोत निधि के लिए स्वतंत्र बैंक खाते का संचालन करने न करना:-

हि.प्र. पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) की अनुपालना में पंचायत समिति के निधियों के लिए स्वतन्त्र बैंक खाता 'क' (स्वः-स्त्रोतों के लेन-देन हेतु) खोला जाना अपेक्षित है। अंकेक्षण के दौरान पाया गया है कि स्वः स्त्रोत/सामान्य निधि व अन्य निधियों का संचालन एक ही बैंक खाते द्वारा किया जा रहा है। अतः खाता "क" के लिये स्वतन्त्र रूप से बैंक खाते का संचालन न किये जाने के कारण पंचायत समिति की स्वः स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति को अंकेक्षण प्रतिवेदन में अलग से दर्शाया जाना सम्भव नहीं हो सका। इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 2 दिनांक 05/11/2024 द्वारा सचिव, पंचायत समिति को अवगत करवाया गया जिसके प्रतिउत्तर में अनियमितता को भविष्य में नहीं दोहराने का तथा योजनावार पृथक बैंक खाता व रोकड़ बही तैयार करने का आश्वासन दिया। अतः कृत कार्यवाही करने के उपरान्त अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

4.6 "ई-ग्राम स्वराज" पोर्टल पर रोकड़ बहियों का अनुरक्षण न करना: -

पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने, बहुमूल्य मानवश्रम की बचत करने तथा कार्य प्रणाली में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा "ई-ग्राम स्वराज" के नाम से राष्ट्रीय स्तर के पोर्टल https://egramswaraj.gov.in/cashBookPublic.do का सँचालन किया जा रहा है जिसमें अन्य गतिविधियों के अतिरिक्त पँचायत समिति के आय व्यय का ऑन लाईन लेखाँकन वर्चुअल रोकड़ बही में करने की सुविधा भी उपलब्ध है। परन्तु अँकेक्षण में पाया गया कि अवधि 04/2019 से 03/2024 तक पँचायत समिति द्वारा इस सुविधा का पूर्ण लाभ न उठाते हुये स्व: स्त्रोत की ऑनलाईन रोकड़ बही का निरन्तर अद्यतन नहीं किया जा रहा था। इस कारण सरकार द्वारा करोड़ों रूपये व्यय करके चलाये जा रहे "ई-ग्राम स्वराज" पोर्टल को स्थापित करना ही निरूद्देश्य हो जाता है। इसके अतिरिक्त रोकड़ बही को अनुरक्षित करने में व्यर्थ किये जा रहे बहुमूल्य मानवश्रम के कारण पँचायत समिति की अन्य गतिविधियाँ भी नकारात्मक तरीके से प्रभावित होती हैं। अतः इस गम्भीर अनियमितता बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के अतिरिक्त भविष्य में नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करके अनुपालना से अँकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

5. सावधिक निवेश :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या: KK/SO/2024/-Vol.I-58 दिनांक 29.10.2024 के क्रम संख्या 15 के सन्दर्भ में अंकेक्षण को पत्र संख्या: 1500 दिनांक 20/11/24 द्वारा पर प्रदान की गई सूचना के अनुसार पंचायत समिति का अवधि 04/2019 से 03/2024 तक सावधि जमा योजना में निवेश शून्य था। अत: परामर्श दिया जाता है कि स्वयं स्त्रोत में आवश्यकता से अधिक पड़ी राशि को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, सकर्म, कराधान,व भत्ते) नियम 2002 के नियम 26 के अनुसार सावधि जमा योजना में निवेशित किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि पंचायत समिति को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके। कृत अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

6. अनुदान

6.1 अनुदान से ₹128.20 लाख के व्यय के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार सचिव, पंचायत समिति अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु जिम्मेवार है। पंचायत समिति द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई 15 वें वित्त

आयोग की अनुदानों की विवरणी **(परिशिष्ट-1)** के अवलोकन पर पाया गया कि अवधि 4/2019 से 3/2024 तक निम्न विवरण अनुसार ₹12820107 की अनुदान राशि का व्यय किया गया था। परन्तु इससे सम्बन्धित आवश्यक उपयोगिता प्रमाण पत्रों को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त उपयोगिता प्रमाण पत्रों को सम्बन्धित संस्थाओं को प्रेषित किये जाने सम्बन्धित भी कोई अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जोकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम नियम 2002 के नियम 88 की अवहेलना है । इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या: KK/SO/2024/-Vol.I-58 दिनांक 29.10.2024 के क्रम संख्या 11 को जारी करके सम्बन्धित आवश्यक उपयोगिता प्रमाण पत्रों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने हेतु आग्रह किया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ जोकि आपत्तिजनक है । अतः इस सम्बन्ध में उचित स्पष्टिकरण दिया जाए व उक्त वर्णित अभिलेख को संरक्षित करके अंकेक्षण में आवश्यक सत्यापनार्थ प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6.3 अनुदान खाते में ₹171.90 लाख राशि शेष:-

पंचायत समिति द्वारा **परिशिष्ट- 1** पर प्रस्तुत सूचना के अनुसार पंचायत समिति में विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों में से दिनांक 31.03.2024 को ₹17189943.59 की राशि (स्वः स्रोत सहित) उपयोग हेतु शेष थी । इस राशि का हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 22 के अनुसार फडिंग एजेन्सी के दिशा-निर्देशों अनुसार व्यय किया जाना अपेक्षित है। अत: सुझाव दिया जाता है कि प्राप्त शेष अनुदानों की राशि को भविष्य में नियमानुसार व्यय किया जाये।

7. दुकान किराया ₹0.63 लाख की वसूली शेष :-

पंचायत समिति शिलाई द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.03.2024 तक दुकान किराया के रूप में ₹63218 की राशि वसूली हेतु शेष थी जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–3** पर दिया गया है। उक्त दुकान किराये के रूप में वसूली हेतु शेष राशि का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 3 दिनांक 05.11.2024 द्वारा पंचायत समिति के ध्यानार्थ लाया गया, जिस सन्दर्भ में अंकेक्षण समाप्ति तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ जोकि आपत्तिजनक है। अत: दुकान किराया की वसूली यथासमय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए उक्त राशि की वसूली शीघ्र अति शीघ्र की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8. **आपूर्तिकर्ता को ₹3.56 लाख का दोहरा भुगतान :-**

पंचायत समिति के अवधि 03/2019 से 04/2024 के नमूना अंकेक्षण के दौरान पाया गया है कि पंचायत समिति द्वारा अपने स्तर पर पंचायती राज सामान्य निर्वाचन 2020 हेतु निम्न लिखित तालिका में वर्णित आपूर्तिकर्ताओं को कार्यालय में भोजन, जलपान, स्टेशनरी, टेंट इत्यादि उपलब्ध करवाने के लिए ₹356400 दिनांक 25.2.2021 को RTGS स0 7537 (CBP No.122) द्वारा अग्रिम राशि प्रदान की गई थी जो कि बाद में जिला पंचायत अधिकारी, नाहन से प्राप्त की जानी अपेक्षित थी। परन्तु अंकेक्षण के दौरान मौखिक रूप से अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि जिला पंचायत अधिकारी, नाहन द्वारा भी आपूर्तिकर्ताओं से व्यय के वास्तविक बिल प्राप्त करके उन्हें उक्त राशि का सीधा भुगतान किया गया। इस प्रकार आपूर्तिकर्ताओं को दोहरा भुगतान किया गया प्रतीत होता है क्योंकि समिति द्वारा प्रदान किये गए उक्त अग्रिम का वसूली दिनांक 31.03.2024 तक नहीं की गई थी जो कि अनियमित एवं आपतिजनक है :-

Sr.No.	Supplier/Vendor	Amount (₹)
1	Sh. Raghubir Singh R/o Timbi	135000
2	Sharma Tent House R/o Shillai	96000
3	Tanaink Filling Station Shillai	63000
4	Sunil Kumar Thakur Tea Stall	17000
5	Amit Desai R/o Shillai	7400
6	Thakur Book Depot Shillai	30000
7	Dharam Singh R/o Gangtoli	8000
	Total	**356400**

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 4 दिनांक 5.11.2024 जारी करके पूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ जोकि आपत्तिजनक है । अतः इस सम्बन्ध में तथ्यों सहित वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाए तथा उक्त आपूर्तिकर्ताओं को प्रदान की गई अग्रिम राशि की अविलम्ब वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

9. **स्थापना**

9.1 **श्री गयार सिंह, अंशकालिक सेवादार की नियुक्ति बारे:-**

हि0प्र0 वित्तीय नियमावली 2009 के नियम 170 के अनुसार *"स्थापना में वृद्धि के लिए सभी प्रस्ताव हिमाचल प्रदेश सरकार के रूल्ज ऑफ़ बिजनेस और वित्त विभाग या सरकार के किसी अन्य अधिकृत प्रशासनिक विभाग द्वारा जारी निर्देशों, या अन्य ऐसे निर्देशों जो समय-2 पर*

इस सम्बन्ध में जारी किये गये हो, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत किए जाएंगे, परन्तु पंचायत समिति के अवधि 03/2019 से 04/2024 के अंकेक्षण के दौरान पाया गया है कि समिति द्वारा सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना संस्था स्तर पर प्रस्ताव स0 5 दिनांक 19.02.2014 को त्रैमासिक बैठक में श्री गयार सिंह पुत्र श्री तेलु राम को अंशकालिक तौर पर सेवादार के पद पर नियुक्त किया गया जो कि अनियमित है। इस प्रकार समिति स्वयं के स्तर किसी प्रकार की नियुक्ति हेतु अधिकृत नहीं है । अंकेक्षण अवधि 03/2019 से 04/2024 के दौरान श्री गयार सिंह को **परिशिष्ट – 4** पर उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार कुल ₹410760 की राशि का अनाधिकृत व्यय किया गया है।

उक्त वर्णित अनियमितता को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः5 दिनाँक 6.11.2024 द्वारा पूर्ण वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने का आग्रह किया गया जिसके प्रत्युतर में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पंचायत समिति शिलाई द्वारा सूचित किया गया कि उक्त कर्मी की नियुक्ति बारे मामला कार्योत्तर स्वीकृति हेतु निदेशक पंचायती राज विभाग हि०प्र० को प्रेषित किया गया है तथा माननीय उच्च न्यायलय में विचाराधीन है। इस प्रकार संस्थास्तर पर कर्मचारियों की नियुक्ति करना अनियमित ही नहीं अपितु एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। अतः समिति निधि से किये गये अनाधिकृत व्यय का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा उचित स्त्रोत से राशि की वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

9.2 अनुबंध आधारित कर्मचारियों के वार्षिक अनुबन्ध के नवीनीकरण बारे:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (जिला परिषदों के अधीन नियुक्त पंचायत सचिवों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) नियम-2019 के नियम 16(1)(ए) के अनुसार अनुबन्ध आधारित पंचायत सचिव की प्रथम नियुक्ति के समय अनुबन्ध एक वर्ष के लिये किया जायेगा जिसके पश्चात पंचायत समिति के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा जारी सन्तोषजनक कार्य व व्यवहार के प्रमाणपत्र के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिवर्ष नवीनीकरण किया जाना अपेक्षित है परन्तु पंचायत समिति के अवधि 03/2019 से 04/2024 के नमूना अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि समिति द्वारा पंचायत सचिवों (अनुबन्ध आधारित) से उनकी प्रथम नियुक्ति तथा आगामी अनुबंध सेवा/कार्यकाल हेतु नियमानुसार प्रत्येक वर्ष की अवधि के लिये अनुबन्धों की मूल प्रति अथवा छायाप्रति को उपलब्ध नहीं करवाया गया गया जो कि अनियमित है।

क्र0 स0	नाम व पदनाम	अनुबंध आधार पर नियुक्ति की तिथि	नियमितीकरण की तिथि	अपेक्षित अवधि अनुबंध की प्रति
1	श्री रण सिंह	02.01.2010	18.08.2021	02.01.2010 से 17.08.2021
2	श्रीमती सुमित्रा देवी	26.06.2020	14.02.2023	26.06.2020 से 13.02.2023
3	श्रीमती श्यामा देवी	12.10.2022	-	12.10.2022 से वर्तमान तक

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 7 दिनांक 14.11.2024 को जारी करके उक्त अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत करने का आग्रह किया गया जिसके प्रत्युतर में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पंचायत समिति शिलाई द्वारा पत्र सं0 1502, दिनांक 21.11.2024 द्वारा सूचित किया गया कि अनुबंध की प्रतियाँ जिला परिषद कार्यालय से प्राप्त करके आवश्यक कार्रवाई को अमल लाया जाएगा। अतः उक्त वर्णित कमचारियों की अनुबंधों/अभिलेख को संरक्षित किया जाये तथा अंकेक्षण में आवश्यक सत्यापनार्थ प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9.3 कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं बारे:-

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों व वित्तीय नियमावली 2009 के नियम 173 (1) व (2) के प्रावधानानुसार सेवा पंजीकाओं का रख रखाव अनुपूरक नियम 196 से 203 के अनुसार किया जाना अपेक्षित है।

9.3.1 कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं का रख-रखाव नियमानुसार न करना:-

कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं के अंकेक्षण में पाया गया है कि पंचायत सचिवों/कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं में दो वर्ष पश्चात नियमितिकरण/अनुबंध वेतन निर्धारण, वार्षिक वेतन वृद्धि इत्यादि से सम्बन्धित प्रविष्टियाँ नहीं पाई गई तथा न ही सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया जोकि की अनियमित है क्योंकि इसके अभाव में कर्मचारियों को देय वेतन व अन्य अदायगियों की सत्यापना सम्भव नहीं हो पाती। कुछ उदाहरण निम्न तालिका में वर्णित दिए गए है:-

क्र0 स0	नाम	आवश्यक प्रविष्टियाँ/विवरण सेवा पंजिकाओं में दर्ज नहीं पाई गई
1	श्रीमती कमला देवी	वार्षिक वेतन वृद्धि (1.9.2015 से 1.9.2017)
2	श्री नीता राम	वार्षिक वेतन वृद्धि (1.9.2016)
3	श्री बाबु राम	वार्षिक वेतन वृद्धि (1.11.2016)
4	श्री बलदेव सिंह	वार्षिक वेतन वृद्धि (1.11.2016)
5	श्री अमर सिंह	वार्षिक वेतन वृद्धि (1.11.2016)
6	श्री अतर सिंह (सेवानिवृत 31.1.2023)	वार्षिक वेतन वृद्धि (1.12.2016), EOL अवधि 4.4.2017 से 31.5.2017 तक
7	श्री सूरत सिंह	दो वर्ष बाद वेतन वृद्धि की प्रविष्टि

8	श्री राजेन्द्र कुमार	EOL अवधि 6.3.2017 से 1.5.2017 तक
9	श्रीमती द्वारिका देवी	वार्षिक वेतन वृद्धि (1.7.2018)
10	श्री कृपा राम	छुट्टी खाता अवधि 3.8.2017 से 31.12.2020 तक, अनुबंध वेतन निर्धारण की प्रविष्टि (3.9. 2008 व 4.3.2014) I
11	श्री सतपाल शर्मा	वार्षिक वेतन वृद्धि (1.4.2022), नियमितीकरण
12	श्री टीका राम	नियमितीकरण
13	श्री गोविन्द राम	नियमितीकरण
14	श्री रण सिंह	वार्षिक वेतन वृद्धि (1.4.2016 -अनुबंध), 1.8.2022 व 1.8.2023)
15	श्री बलबीर सिंह	**वेतन संशोधन 2022 के अतिरिक्त कोई प्रविष्टि नहीं की गई है।**

इस बारे जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 7 दिनांक 14.11.2024 के प्रत्युतर में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पंचायत समिति शिलाई के पत्र स0 1502, दिनांक 21.11.2024 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त आपत्तियों का निराकरण कर दिया जाएगा I उत्तर संतोषजनक नहीं है I अतः उक्त वर्णित कमचारियों की सेवापंजिकाओं में नियमानुसार रख रखाव किया जाये तथा कृत कार्रवाई से आवश्यक सत्यापनार्थ हेतु अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये I

9.3.2 कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं का संधारण न करने बारे:-

पंचायत समिति के अवधि 03/2019 से 04/2024 के अंकेक्षण के दौरान पाया गया है कि निम्न तालिका में वर्णित कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं का संधारण नहीं किया गया था जो कि गंभीर अनियमितता एवं आपतिजनक है क्योंकि सेवा पंजिका कर्मचारी की सेवा से संबंधित एक महत्वपूर्ण अभिलेख है। इस प्रकार इन कर्मचारियों को देय वित्तीय लाभों की गणना/अदायगी की जाँच/पुष्टि अंकेक्षण के दौरान संभव नहीं हो सकी।

क्र0 स0	**नाम**	**पदनाम**
1	श्री बीर सिंह	तकनीकी सहायक
2	श्री कुंदन सिंह	तकनीकी सहायक
3	श्री चतर सिंह	तकनीकी सहायक
4	श्री जगत राम	तकनीकी सहायक
5	श्री दलीप सिंह	तकनीकी सहायक
6	श्री राजेन्द्र कुमार	तकनीकी सहायक

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 7 दिनांक 14.11.2024 जारी करके उक्त कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं के नियमानुसार रख-रखाव नहीं करने बारे अंकेक्षण को अवगत करवाने का आग्रह किया गया था जिसके प्रत्युतर में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पंचायत समिति शिलाई के पत्र स0 1502, दिनांक 21.11.2024 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त कर्मचारियों की

सेवा पंजिकाओं का संधारण कर दिया जाएगा। अतः उक्त वर्णित कमचारियों की सेवापंजिकाओं का नियमानुसार संधारण उपरांत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10. व्यय

10.1 श्रीमती श्यामा देवी, पंचायत सचिव (अनुबंध आधार पर) को ₹0.04 लाख के अनियमित वेतन भुगतान बारे:-

पंचायत समिति के अवधि 04/2019 से 03/2023 तक के नमूना अंकेक्षण अंकेक्षण के दौरान पाया गया है कि श्रीमती श्यामा देवी पंचायत सचिव (अनुबंध आधार पर) को मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद नाहन के नियुक्ति आदेश स0 एस.एम.आर(जेड.पी.)सि.अ./नियक्ति प.स.-7592-7603 दिनांक 10.10.2022 की अनुपालना में दिनांक 12.10.2022 को अनुबंध आधार पर लेवल-3, सेल-1 (वेतनमान 20200-64000) के 60% के वेतन (Fixed emoluments) पर कार्यग्रहण किया गया जो कि ₹20200 का ₹12120 बनता है। परन्तु अंकेक्षण में पाया गया कि उक्त कर्मचारी को दिनांक 1.10.2023 में वार्षिक वेतन वृद्धि कर ₹4356 का अधिक भुगतान किया गया है जो कि अनियमित है जिसका विवरण निम्न तालिका के अनुसार है:-

अवधि	आहरित वेतन (₹)	देय वेतन (₹)	अधिक भुगतान/प्रतिमाह (₹)	कुल अधिक भुगतान (₹)
1.10.2023 से 30.9.2024 (12 महीने)	12483	12120	363	4356

10.2 श्रीमती सुमित्रा देवी, पंचायत सचिव (अनुबंध आधार पर) को ₹350 अनियमित वेतन भुगतान बारे:-

पंचायत समिति के अवधि 04/2019 से 03/2023 तक के नमूना अंकेक्षण अंकेक्षण के दौरान पाया गया है कि श्रीमती सुमित्रा देवी पंचायत सचिव (अनुबंध आधार पर) को मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद नाहन के नियुक्ति आदेश स0 एस.एम.आर(जेड.पी.)सि.अ./नियक्ति प.स.-2082-97 दिनांक 22.6.2020 की अनुपालना में दिनांक 26.6.2020 को अनुबंध आधार पर वेतनमान 5910-20200+1900+2850 (ग्रेड पे का 150%) पर कार्यग्रहण किया गया था परन्तु अभिलेख की पड़ताल पर पाया गया है कि उक्त कर्मचारी को माह 06/2020 के वेतन को दिनांक 25.06.2020 से 30.0.2020 (6 दिन) तक प्रदान किया गया था जबकि उनको दिनांक 26.06.2020 से 30.06.2020 (5 दिन) वेतन दिया जाना अपेक्षित था। इस प्रकार उनको रोकड़ बही के पृष्ठ स.93 दिनांक 06.08.2020 अनुसार 01 दिन के वेतन के रूप ₹350 अधिक भुगतान किया गया है जो कि अनियमित है जिसका विवरण निम्न तालिका के अनुसार है:-

वेतन	अवधि	मूल वेतन (₹ 5910)	ग्रेड पे (₹1900)	150% (ग्रेड पे) (₹)	राशि (₹)
1	2	3	4	5 (4x150%)	5 (3+4+5)
आहरित वेतन (₹)	25.06.2020 से 30.0.2020 (6 दिन)	1182	378	567	2127
देय वेतन (₹)	26.06.2020 से 30.0.2020 (5 दिन)	985	317	475	1777
कुल		**197**	**61**	**92**	**350**

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 9 दिनांक 18.11.2024 जारी करके श्रीमती श्यामा देवी तथा श्रीमती सुमित्रा देवी पंचायत सचिव को किये गए अनुचित भुगतान बारे अंकेक्षण को अवगत करवाने का आग्रह किया गया परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी उत्तर नहीं दिया गया। अतः उक्त कर्मचारियों को किये गए अधिक भुगतान बारे पूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए तथ्यों एवं आकड़ो सहित उचित ठहराया जाये अन्यथा वसूली की राशि उचित से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10.3 श्रीमती सुमित्रा देवी, पंचायत सचिव का गलत वेतन निर्धारण के कारण ₹0.06 लाख अनियमित वेतन भुगतान बारे: -

निदेशक पंचायती राज की अधिसूचना स0. PCB-HB(15)-01/2022-Pay revision-60236-336 दिनांक 23.09.2022 तथा PCB-HB(15)-01/2022-Pay revision-1622-33 दिनांक 07.03.24 द्वारा संशोधित वेतनमान का लाभ जिला परिषदों में कार्यरत कर्मचारियों को प्रदान किया गया।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया है कि श्रीमती सुमित्रा देवी पंचायत सहायक (नियमितीकरण दिनांक 14.2.2023) का वेतन गलत निर्धारण कर निम्न प्रकार से ₹6432 का माह 03/24 से 10/2024 तक 8 महीने का वेतन अधिक आहरण करके अनियमित भुगतान किया गया:-

क0 स0	विवरण	अपेक्षित मूल वेतन	वास्तव में निर्धारित किया गया वेतन	प्रतिमाह अधिक आहरित वेतन (माह 03/24 से)	प्रतिमाह अधिक आहरित महंगाई भत्ता (34%)	माह 03/24 से 10/2024 (8 महीने)
1	दिनांक 14.2.2023 - नियमितीकरण	₹20200 (Level-3, Cell-1)	₹20800 (Level-3, Cell-2)	-	-	-
2	दिनांक 1.2.2024 -वार्षिक वेतन वृद्धि	₹20800 (Level-3, Cell-2)	₹21400 (Level-3, Cell-3)	600	204	6432

इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 11 दिनांक 20.11.2024 जारी करके श्रीमती श्रीमती सुमित्रा देवी पंचायत सचिव को किये गए अनुचित भुगतान बारे अंकेक्षण को अवगत करवाने का आग्रह किया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः उक्त कर्मचारी को किये गए अधिक भुगतान को पूर्ण तथ्यों एवं आकड़ो सहित उचित ठहराया जाये अन्यथा वसूली की राशि उचित स्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

11. व्यय

11.1 निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹0.84 लाख का अनियमित व्ययः-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4) से (5) में स्टॉक/स्टोर को क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं। उपरोक्त नियम के अनुसार पंचायत समिति द्वारा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पंचायत समिति द्वारा मनोनीत तीन सदस्य और पंचायत समिति के सचिव को सम्मिलित करके समिति द्वारा ₹1000 से अधिक तथा ₹50000 से कम वस्तु/सामग्री के क्रय के लिए कोटेशन (Quotation) तथा ₹50000 से अधिक मूल्य की वस्तु/सामग्री के क्रय हेतु निविदाएं (Tenders) आमन्त्रित की जानी अपेक्षित है। परन्तु नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट–5** अनुसार ₹83780 के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है क्योंकि पंचायत समिति द्वारा वर्णित क्रय में बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ न उठाकर निधि का उचित प्रयोग नहीं किया गया। इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 6, दिनांक 13/11/2024 द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी को उचित स्पष्टीकरण से अंकेक्षण को अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया जिस बारे अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। अत: सामग्री का क्रय नियमानुसार न होने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी से कार्योतर स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक / स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

11.2 ₹ 3.47 लाख की क्रय की गई सामग्री की स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि न करनाः-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 69,70 व 72 के अन्तर्गत स्टॉक/स्टोर के क्रय सम्बन्धी औपचारिकताएं प्रावधित है। उक्त नियम के दृष्टिगत पंचायत समिति द्वारा क्रय की गई सामग्री की मात्रा, गुणवता की जाँच करने के उपरान्त अनिवार्य रूप से फार्म 25 से 28 के अनुरूप स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि की जानी अपेक्षित है तथा यह भी प्रमाणित किया जाना अपेक्षित है कि स्टॉक/सामग्री को सही

अवस्था में प्राप्त किया गया है। नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत समिति द्वारा **परिशिष्ट–6** अनुसार ₹347445 के स्टॉक/स्टोर की सामग्री/मदों को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज किए बिना ही प्रयोग किया गया था । इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 6, दिनांक 13/11/2024 द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी,पंचायत समिति को सम्बन्धित रजिस्टर में प्रविष्टियाँ न करने बारे दृष्टिकोण से अंकेक्षण को यथाशीघ्र अवगत करवाने का आग्रह किया गया जिस बारे अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। अत: वांछित अभिलेख तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त सम्पूर्ण क्रय की गई सामग्री की सम्बन्धित अभिलेख तैयार करने के उपरांत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

12. निर्माण

12.1 ₹ 0.29 लाख की मस्ट्रोल सम्बन्धित अनियमितताओं बारे:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखा, लेखापरीक्षा, कार्य, कराधान और भत्ते) नियम, 2002 के नियम 102 के अन्तर्गत मस्ट्रोल से सम्बन्धित औपचारिकताएं प्रावधित है। समिति के अंकेक्षण अवधि 04/19 से 03/24 तक के नमूना अंकेक्षण के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई:-

- मस्ट्रोल में जिला पंचायत अधिकारी की मोहर अंकित नहीं थी।
- निर्माण कार्य हेतु जारी मस्ट्रोल पर पारित आदेश दर्ज नहीं पाए गए।
- समिति के द्वारा मस्ट्रोल रजिस्टर को पूर्ण रूप से नहीं भरा गया था जैसे मस्ट्रोल जारी करने की तिथि, किसे जारी किया गया था तथा प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर इत्यादि दर्ज नहीं पाए गए।

परिणामस्वरूप पंचायत समिति द्वारा उक्त औपचारिकताओं के बिना ही मस्ट्रोल द्वारा निम्न विवरणानुसार ₹28700 का भुगतान किया गया जोकि अनुचित है :-

क्र. स.	वित्त वर्ष	योजना	कार्य का नाम	वाउचर स./ दिनांक	मस्ट्रोल स./ दिनांक	भुगतान राशि (₹)
1	2023-24	XVFC	C/o L/R Kando to Rohini	75/13/06/2023	012/01-08-2022	10500
2	2023-24	XVFC	C/o L/R Kando to Rohini	76/13/06/2023	012/01-08-2022	3850
3	2023-24	XVFC	C/o L/R Kando Gunand to Kando Manal	77/13/06/2023	013/01-08-2022	10500
4	2023-24	XVFC	C/o L/R Kando Gunand to Kando Manal	78/13/06/2023	013/01-08-2022	3850
					कुल	28700

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 6, दिनांक 13/11/2024 द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी,पंचायत समिति को उक्त अनियमितताओं बारे समिति के दृष्टिकोण से अंकेक्षण को अवगत करवाने का आग्रह किया गया जिस बारे अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। अत: उक्त वर्णित त्रुटियों बारे पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इनमें आवश्यक सुधार करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

12.2 ₹3.45 लाख के निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत समिति सचिव अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु जिम्मेवार होगा। परन्तु व्यय वाउचरों के अंकेक्षण करने पर पाया गया कि पंचायत समिति द्वारा नियम 94, 95 व 101 के अन्तर्गत अपेक्षित अभिलेख जैसे निर्माण कार्यों के प्राक्कलन, प्रशासनिक अनुमोदन/तकनीकी मंजूरी और वित्तीय मंजूरी व माप पुस्तिकाएं इत्यादि अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई जिसके कारण **परिशिष्ट-7** पर वर्णित निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु किये गये ₹344925 के भुगतान को अंकेक्षण में सत्यापित नहीं किया जा सका जोकि आपत्तिजनक है। इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 6, दिनांक 13/11/2024 द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पंचायत समिति को निर्माण कार्यों के निष्पादन के भुगतान से संबंधित प्राक्कलन, प्रशासनिक अनुमोदन/तकनीकी मंजूरी और वित्तीय मंजूरी व माप पुस्तिकाएं इत्यादि अविलम्ब अंकेक्षण को प्रस्तुत आग्रह किया गया था जिस बारे अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। अत: उक्त अभिलेख प्रस्तुत न करने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा पूर्ण अभिलेख सहित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

12.3 आपूर्तिकर्ताओं से ₹6.40 लाख की खरीद सामग्री के ट्रांजिट पास (फार्म डब्ल्यू) या सप्लीमेन्ट्री पास (फार्म-एक्स) प्रस्तुत करने बारे: -

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम 2015 के नियम 81 व 81ए के अनुसार ठेकेदार/विक्रेता द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर फॉर्म "एक्स" या "डब्ल्यू" प्रस्तुत करना अनिवार्य है अन्यथा उसे रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी के साथ करना होगा। परन्तु निदेशक पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या एक्स.ई.एन. –(आर.डी. एवं पी. आर.)-डी.बी.जनरल/2023-1/204192/2023-34307-30, दिनांक 02.11.2023 के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश आदेशों की अनुपालना में अब ठेकेदार/विक्रेता से खनन सामग्री की आपूर्ति पर

रॉयल्टी की कटौती नहीं की जायेगी तथा आपूर्ति हेतु भुगतान उनके द्वारा फॉर्म "एक्स" या "डब्ल्यू" प्रस्तुत करने पर ही किया जायेगा।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत समिति द्वारा आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री जैसे पत्थर, रेत, बजरी इत्यादि की आपूर्ति पर उक्त ट्रांजिट पास अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किये गए। परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को संलग्न **परिशिष्ट-8** अनुसार ₹639765 का अनियमित भुगतान किया गया है। इस संबंध में जारी अंकेक्षण अधियाचना स0: 8 दिनांक 16/11/2024 द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पंचायत समिति को उक्त ट्रांजिट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत करने का आग्रह किया गया ताकि खरीदी गई सामाग्री की वैधानिकता की पुष्टि की जा सकें जिस बारे अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। अत: उक्त अभिलेख प्रस्तुत न करने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा पूर्ण अभिलेख सहित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये अन्यथा मामला जिला के खनन अधिकारी से उठाकर तदानुसार कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12.4 निर्माण कार्य में Extra cost of material/enhanced cost of material including carriage में HPSR 2020 की दर को कम दर्शाकर ₹ 1350 के अधिक भुगतान बारे:-

Work Name:	C/o RTWH Tank Koti Bounch
MB No./page No.	13432/82-85
Head	15th FC

अंकेक्षण के दौरान पाया गया है कि माप पुस्तिका में निर्माण कार्य RTWH Tank Koti Bounch में Extra cost of material/enhanced cost of material including carriage में HPSR 2020 की दर को प्राक्कलन में दर्शाई गई सही दर से कम दर्शाकर निम्न तालिका अनुसार 20mm aggregate का ₹1350 का अधिक मूल्यांकन किया गया जो कि अनियमित है जबकि Extra cost of material की गणना Market rate तथा HPSR 2020 की वास्तविक दर (प्राक्कलनानुसार) के अंतर के आधार की जानी चाहिए थी :-

मद का नाम	माप पुस्तिका अनुसार मात्रा	माप पुस्तिका अनुसार मार्किट रेट	माप पुस्तिका अनुसार HPSR 2020 का किया गया गलत रेट	एस्टीमेट अनुसार HPSR 2020 का सही रेट	रेट में अंतर	राशि (₹)
1	2	3	4	5	6 (5-4)	7 (2x6)
20mm Aggregate	3	3840	900	1350	450	1350

उक्त वर्णित अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना स0: 10 दिनांक 19/11/2024 जारी करके मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पंचायत समिति को उचित स्पष्टीकरण से अंकेक्षण को अवगत करवाने का आग्रह किया गया परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। अत: उक्त किये गए अधिक भुगतान को या तो नियमानुसार सही ठहराया जाये अन्यथा राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करने के उपरांत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

12.5 निर्माण कार्यों में गणना में गलती करके ₹0.06 लाख का अधिक भुगतान:-

(i) निर्माण कार्य C/o GSSS Kota Pab में Item No. 4 i.e.P/F form work of ordinary timber planks में गणना में गलती कर ₹2875 के अधिक भुगतान बारे:

अंकेक्षण के दौरान पाया गया है कि 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत उक्त निर्माण कार्य की माप पुस्तिका स0 8445/20-23 में Item no. 4 i.e. P/F form work of ordinary timber planks की मात्रा 6.54 sqm की भुगतान की राशि की गणना में गलती कर निम्न प्रकार से ₹2875 का अधिक भुगतान किया गया था जो कि अनियमित है:-

विवरण (₹)		**लेबर रेट (₹)**	**थ्रू रेट (₹)**
माप पुस्तिका अनुसार रेट प्रति वर्ग मीटर	**1**	102.65	612.65
माप पुस्तिका अनुसार भुगतान राशि	**2**	1124	6709
अंकेक्षण अनुसार भुगतान राशि	**3**	**671**	**4007**
अधिक भुगतान राशि	**4 (2-3)**	453	2702
घटाव: 15% (OHE)	**5 (4x15%)**	68	405
कुल	**6 (4-5)**	**385**	**2297**
जमा: लेबर एनहांसमेंट @ 150 %	**7 (6x150%)**	578	578
शुद्ध अधिक भुगतान	***8 (2297+578)***		***2875***

(ii) निर्माण कार्य C/o GSSS Kota Pab में Item No. 9 i.e. 15mm thick plaster to rough surface with wall CM 1:6 की गणना में गलती कर ₹326 के अधिक भुगतान बारे: -

अंकेक्षण के दौरान पाया गया है कि 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत उक्त निर्माण कार्य की माप पुस्तिका स0 8445/20-23 में No. 9 i.e. 15mm thick plaster to rough surface with wall CM 1:6 में 26.87m^2 *(12.60+7.14+4.80+5.60-3.00-0.27)* के स्थान 29.51 m^2 मात्रा

गणना हेतु लेकर 2.64 m^2 का निम्न प्रकार से ₹326 का अधिक भुगतान किया गया था जो कि अनियमित है:-

विवरण (₹)		लेबर रेट (₹)	थ्रू रेट (₹)
माप पुस्तिका अनुसार रेट	**1**	44	78.90
अधिक भुगतान राशि	**2**	116	208
घटाव: 15% (OHE)	**3 (2x15%)**	17	31
कुल	**4 (2-3)**	**99**	**177**
जमा: लेबर एनहांसमेंट @ 150 %	**5 (4x150%)**	149	149
शुद्ध अधिक भुगतान	***6 (177+149)***		***326***

(iii) निर्माण कार्य C/o Sanjha Pragan Panjod में Item No. 3 i.e. P/L CC 1:4:8 की गणना में गलती कर ₹2936 के अधिक भुगतान बारे: -

अंकेक्षण के दौरान पाया गया है कि 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत उक्त निर्माण कार्य की माप पुस्तिका स0 8447/59-60 में Item No. 3 i.e. P/L CC 1:4:8 में 1.14m^3 *(1x14.29x0.80x0.10)* के स्थान 2.32 m^3 मात्रा गणना हेतु लेकर 1.18 m^3 का निम्न प्रकार से ₹2936 का अधिक भुगतान किया गया था जो कि अनियमित है:-

विवरण (₹)		लेबर रेट (₹)	थ्रू रेट (₹)
माप पुस्तिका अनुसार रेट	**1**	422.75	2293.10
अधिक भुगतान राशि	**2**	499	2706
घटाव: 15% (OHE)	**3 (2x15%)**	75	406
कुल	**4 (2-3)**	**424**	**2300**
जमा: लेबर एनहांसमेंट @ 150 %	**5 (4x150%)**	636	636
शुद्ध अधिक भुगतान	***6 (2300+636)***	-	***2936***

उक्त वर्णित अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना स0: 10 दिनांक 19/11/2024 जारी करके मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पंचायत समिति को पूर्ण वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने का आग्रह किया गया परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। अत: उक्त किये गए अधिक भुगतान को या तो नियमानुसार सही ठहराया जाये अन्यथा राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करने के उपरांत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

12.6 निर्माण सामग्री की अधिक खरीद/उपयोग दर्शाकर का ₹0.31 लाख भुगतान करना:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया है कि निर्माण कार्यों के निष्पादन में निर्माण सामग्री की मानक मात्रा से अधिक खरीद/उपयोग दर्शाकर निम्न तालिका अनुसार **₹31036 (4568+19928 +6540)** का अधिक व्यय किया गया था जो कि अनियमित है:-

(i) Work name : C/o Drinking Water Rabad Pipe Line Kuhant Khale to SC Basti Ghaighat.

MB No.: 13446/67-70

मद का नाम	निष्पादित मात्रा (cum)	रेत की खपत (cum)
P/L CC1:4:8	0.93	0.437
P/L CC 1:1.5:3	2.8	1.190
Plaster 1:4 (single coat rough side)	17.64	0.318
40mm Flooring 1:2:4 (20mm)	5.93	0.105
मानक प्रमात्रा अनुसार सामाग्री की खपत (cum)		**2.05**
वास्तविक खरीद/खपत (cum)		3.50
अधिक खरीद/खपत (cum)		1.45
दर/cum (₹)		3150 (3000+5% GST)
अधिक भुगतान (₹)		**4568**

(ii) Work name : C/o Pacca Rasta and P/wall Durgi Devi, Neeta Ram etc Kunhant

MB No.: 13446/62-62

मद का नाम	निष्पादित मात्रा (cum)	सीमेंट की खपत (बैग)	एग्रीगेट (cum)
P/L CC1:3:6 (20mm)	7.05	31.02	6.27
P/L CC 1:4:8 (40mm)	1.88	6.39	1.67
RR 1:6 (B/wall & R/Wall)	24	39.60	-
मानक प्रमात्रा अनुसार सामाग्री की खपत (cum)		**77.01 or 77**	**7.94**
वास्तविक खरीद/खपत (cum)		90	12.5
अधिक खरीद/खपत (cum)		13	4.56
दर/unit (₹)		428	3150 (3000+5% GST)
अधिक भुगतान (₹)		**5564**	**14364**
कुल अधिक भुगतान (₹)		**19928 (5564+14364)**	

(iii) Work name: C/o Sanjha Pragan Panjod

अंकेक्षण के दौरान पाया गया है कि 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत उक्त निर्माण कार्य की माप पुस्तिका स0 8447/59-60 में Item No. 3 i.e. P/L CC 1:4:8 में 1.14m³

(1x14.29x0.80x0.10) के स्थान 2.32 m^3 गणना लेकर 1.18 m^3 की मात्रा का अधिक उपयोग दर्शाकर का ₹6540 का अधिक भुगतान किया गया जो कि अनियमित है:-

मद का नाम	अधिक निष्पादित मात्रा (cum)	सीमेंट की खपत (बैग)	रेत की खपत (बैग)	एग्रीगेट (cum)
P/L CC 1:4:8 (40mm)	1.18	4.012 or 4	0.555	1.05
	दर/unit (₹)	371	3150 (3000+5% GST)	3150 (3000+5% GST)
	अधिक भुगतान (₹)	**1484**	**1748**	**3308**
	कुल अधिक भुगतान (₹)	***6540 (1484+1748+3308)***		

उक्त वर्णित अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना स0: 10 दिनांक 19/11/2024 जारी करके मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पंचायत समिति को उचित स्पष्टीकरण से अंकेक्षण को अवगत करवाने का आग्रह किया गया परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। अत: उक्त किये गए अधिक भुगतान को या तो नियमानुसार सही ठहराया जाये अन्यथा राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करने के उपरांत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

13. विहित रजिस्टरअभिलेख को प्रस्तुत/ करने बारे-:

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत समिति द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना अनिवार्य है। परन्तु समिति द्वारा निम्न अभिलेखों का अनुरक्षण नही किया जा रहा था। अतः उक्त अभिलेख का शीघ्र उचित अनुरक्षण करके कृत कार्यवाही से अकेक्षण को अवगत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र.स.	**रजिस्टर/अभिलेख**	**फार्म स.**	**संदर्भित नियम**
हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखा, लेखापरीक्षा, कार्य, कराधान और भत्ते) नियम, 2002			
1	निवेश रजिस्टर	1	27(1)
2	रसीद बुक का स्टॉक रजिस्टर	4	13(5)
3	लेखा बही- ***15वां वित्त योग***	7	29(1)
4	वर्गीकृत सार	8	29(4)
5	अस्थायी अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
6	विविध मांग और संग्रहण रजिस्टर	10	33
7	बिल रजिस्टर	13	48
8	अंतिम वेतन प्रमाणपत्र	15	52(1) (बी) व 57
9	स्थापना बिल चेक रजिस्टर	18	58
10	यात्रा भत्ता चेक रजिस्टर	20	60
11	गैर-उपभोज्य वस्तुओं का स्टॉक रजिस्टर	25	72(1) (ए)

12	स्टेशनरी और मुद्रित सामग्री के अलावा अन्य उपभोग्य वस्तुओं का स्टॉक रजिस्टर	26	72(1) (बी)
13	स्टेशनरी रजिस्टर	28	72(1) (डी)
14	बट्टे खाता रजिस्टर	29	77(4)
15	लेखापरीक्षा और निरीक्षण रिपोर्ट की प्राप्ति और निपटान रजिस्टर	30	89
16	स्वीकृत अनुमान रजिस्टर	31	95(1)
17	सहायता अनुदान रजिस्टर, हि0प्र0 पंचायती राज सामान्य नियम 1997	8	34
18	विविध रजिस्टर	-	31

14. **लघु आपति विवरणिका:-** लघु आपत्तियों का अंकेक्षण स्थल पर ही निपटारा किया गया। अतः लघु आपत्ति विवरणिका को अलग से जारी नहीं किया गया है।

15. **निष्कर्ष:-** लेखों के रख-रखाव में सुधार के अतिरिक्त पंचायती राज अधिनियम में विहित नियमों की कड़ाई से अनुपालना की जानी आवश्यक है।

(मनजीत भाटिया)
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष–2620046

का०/प्रति 27 MAR 2025

1828-1831

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)(15) (10) 96/2024 खण्ड–1 दिनांक शिमला–09
प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि0प्र0 कुसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी सिरमौर जिला सिरमौर हि0प्र0।

पंजीकृत

4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड शिलाई, जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

(मनजीत भाटिया)
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष–2620046

का०/प्रति

परिशिष्ट-1
पैरा स० 4.1.

FINANCIAL POSITION OF PANCHAYAT SAMITI SHILLAI,DEVELOPMENT BLOCK SHILLAI, DISTRICT SIRMOUR (H.P.) FOR THE PERIOD 04/2019 TO 03/2024					
Year	Opening (₹)	Receipt (₹)	Total (₹)	Payment (₹)	Closing (₹)
1	2	3	4(2+3)	5	6(4-5)
2019-20	7324352.59	31777678.00	39102030.59	26194074.00	12907956.59
2020-21	12907956.59	26961945.00	39869901.59	27217825.00	12652076.59
2021-22	12652076.59	31194327.00	43846403.59	26915129.00	16931274.59
2022-23	16931274.59	40119514.00	57050788.59	35875391.00	21175397.59
2023-24	21175397.59	35054460.00	56229857.59	39039914.00	17189943.59
Total	**7324352.59**	**165107924.00**	**172432276.59**	**155242333.00**	**17189943.59**

PANCHAYAT SAMITI SHILLAI,DEVELOPMENT BLOCK SHILLAI, DISTRICT SIRMOUR (H.P.)								
OWN SOURCES								
Year	Opening (₹)	Own Sources Income (₹)	Receipts-Own Sources	Bank Interest (₹)	Total Receipts(₹)	Total (₹)	Payment (₹)	Closing (₹)
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)	7 (2+6)	8	9 (7-8)
2019-20	**7324352.59**	2600.00	31127009.00	648069.00	**31777678.00**	39102030.59	26194074.00	**12907956.59**
2020-21	**12907956.59**	4500.00	23567434.00	362159.00	**23934093.00**	36842049.59	27217825.00	**9624224.59**
2021-22	**9624224.59**	7000.00	24857318.00	132371.00	**24996689.00**	34620913.59	26915129.00	**7705784.59**
2022-23	**7705784.59**	3000.00	32948749.00	228007.00	**33179756.00**	40885540.59	29507251.00	**11378289.59**
2023-24	**11378289.59**	23284.00	32659912.00	273821.00	**32957017.00**	44335306.59	32587947.00	**11747359.59**

PANCHAYAT SAMITI SHILLAI,DEVELOPMENT BLOCK SHILLAI, DISTRICT SIRMOUR (H.P.)							
XVFC							
Year	Opening (₹)	Receipt (₹)	Bank Interest (₹)	Total Receipts(₹)	Total (₹)	Payment (₹)	Closing (₹)
1	2	3	4	5 (3+4)	6(2+5)	7	8(6-7)
2019-20	**0**	0	0.00	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**
2020-21	**0**	2974076	53776.00	**3027852.00**	3027852.00	0.00	**3027852.00**
2021-22	**3027852**	6197638	0.00	**6197638.00**	9225490.00	0.00	**9225490.00**
2022-23	**9225490**	6939758	0.00	**6939758.00**	16165248.00	6368140.00	**9797108.00**
2023-24	**9797108**	1563265	534178.00	**2097443.00**	11894551.00	6451967.00	**5442584.00**

20.11.24
Chief Executive Officer
Panchayat Samiti Shillai
Distt. Sirmour (H.P.)

Bank Reconciliation Panchayat Samiti Shillai as on 31.03.2024

सामान्य निधि/स्वःस्त्रोत

Balance as per Cash Book			**11747359.59**
ADD:			
(I) Interest Received but not taken in Cash Book			(+)54312.00
Account Number	Date	Amount	
5681010559	31.03.2024	49693.00	
56810110428	31.03.2024	1018.00	
56810126391	31.03.2024	3601.00	
Sub Total:		**54312.00**	
(II) As amount less debited by bank of Rs. 35033/- instead of Rs. 35053/-			(+) 120.00
Account Number		Amount	
5681010559	06.01.2022	20.00	
	06.01.2022	20.00	
	05.02.2022	20.00	
	05.02.2022	20.00	
	10.03.2022	20.00	
	10.03.2022	20.00	
Sub Total:		**120.00**	
Total:-			**11801791.59**
Balance As per Bank			**11801791.59**
Account Number		Amount	
5681010559		11172397.80	
56810110428		138543.79	
56810126391		490850.00	
Total:-		**11801791.59**	

15वॉं वित्तायोगः–

Balance as per Cash Book			**5442584.00**
ADD:			
(I) Interest Received but not taken in Cash Book			(+) 157527.00
Account Number	Date	Amount	
56810127556	30.06.2023	61254	
	30.09.2023	56493	
	31.03.2024	39780	
Sub Total:		**157527**	
LESS:			
(II) Less amount wrongly recorded in online cash book due to technical error			(-) 718655
Account Number	Vr. No. & Date	Amount	
	XVFC/2023-24/R/10 dt. 30.04.2023	10500	
	XVFC/2023-24R/1 dt. 23.08.2023	11484	
	--do--	90000	
	--do--	9800	
	--do--	7350	
	--do--	6024	
	--do--	10500	

	--do--	7700	
	--do--	95000	
	--do--	55000	
	--do--	10500	
	--do--	10500	
	--do--	7700	
	--do--	11880	
	--do--	10500	
	--do--	7350	
	--do--	7350	
	--do--	8400	
	--do--	5600	
	--do--	5936	
	--do--	5600	
	--do--	9504	
	--do--	25470	
	--do--	5936	
	--do--	70800	
	--do--	7000	
	--do--	8316	
	--do--	5109	
	--do--	10150	
	--do--	10500	
	--do--	13200	
	--do--	8316	
	--do--	12840	
	--do--	5600	
	--do--	11880	
	--do--	10500	
	--do--	20822	
	--do--	9108	
	--do--	8400	
	--do--	10150	
	--do--	5500	
	--do--	5600	
	--do--	11130	
	--do--	5600	
	--do--	8400	
	--do--	8400	
	--do--	8400	
	--do--	7350	
Sub Total:		**718655**	
Total:-			**4881456.00**
Balance As per Bank A/C No. 56810127556			**4881456.00**

20.11.14

Chief Executive Officer,
Panchayat Samiti Shillai,
District Sirmaur, H.P.

परिशिष्ट-3, पैरा सं०7

पंचायत समिति शिलाई, जिला सिरमौर।

दिनांक 31.3.2024 को दुकान किराया वसूली संबंधी सूचना

भवन	विवरण	मासिक किराया	गत शेष	वर्ष के दौरान मांग	कुल	वर्ष के दौरान प्राप्ति	अंतशेष/ बकाया
वर्ष : 2018-19 to 2023-24							
पंचायत समिति भवन रोनहाट	01.03.2018 to 31.03.2018	866/-	0	866/-	866	0	866
	01.04.2018 to 31.03.2019	866/-	866	10392	11258	0	11258
	01.04.2019 to 31.03.2020	866/-	11258	10392	21650	0	21650
	01.04.2020 to 31.03.2021	866/-	21650	10392	32040	0	32042
	01.04.2021 to 31.03.2022	866/-	32042	10392	42434	0	42434
	01.04.2022 to 31.03.2023	866/-	42434	10392	52826	0	52826
	01.04.2023 to 31.03.2024	866/-	52826	10392	63218	0	63218

30.10.24

Chief Executive Officer
Panchayat Samiti Shilla[i]
Distt. Sirmour (H.P.)

परिशिष्ट- 4, पैरा० 9.1

Detail of wages paid to Sh. Gayar Singh, Part Time Helper, Panchayat Samiti Shillai

Month/Period	No. of Days	Rate (Rupees)	Rate for 6 hour in a per day	Total wages paid	Cash Book Page No. & Date
March,2019	31	28.25 Per Hour	170	5270	26/08.04.2019
April,2019	30	28.25 Per Hour	170	5100	29/08.05.2019
May,2019	31	28.25 Per Hour	170	5270	31/07.06.2019
June,2019	30	28.25 Per Hour	170	5100	33/06.07.2019
July,2019	31	31.25 Per Hour	188	5828	37/03.08.2019
Arrear 04/19 to 06/19	...	31.25 Per Hour	...	1638	37/03.08.2019
August,2019	31	31.25 Per Hour	188	5828	41/06.09.2019
September,2019	30	31.25 Per Hour	188	5640	47/05.10.2019
October,2019	31	31.25 Per Hour	188	5828	51/02.11.2019
November,2019	30	31.25 Per Hour	188	5640	54/04.12.2019
December,2019	31	31.25 Per Hour	188	5828	59/01.01.2020
January,2020	31	31.25 Per Hour	188	5828	64/03.02.2020
February,2020	29	31.25 Per Hour	188	5452	67/05.03.2020
March,2020	31	31.25 Per Hour	188	5828	75/03.04.2020
April,2020	30	31.25 Per Hour	188	5640	79/05.05.2020
May,2020	31	31.25 Per Hour	188	5828	81/02.06.2020
June,2020	30	31.25 Per Hour	188	5640	87/06.07.2020
July,2020	31	31.25 Per Hour	188	5828	92/06.08.2020
August,2020	31	31.25 Per Hour	188	5828	98/03.09.2020
September,2020	30	31.25 Per Hour	188	5640	103/01.10.2020
October,2020	31	31.25 Per Hour	188	5828	106/02.11.2020
November,2020	30	31.25 Per Hour	188	5640	112/03.12.2020
December,2020	31	31.25 Per Hour	188	5828	116/02.01.2021
January,2021	31	31.25 Per Hour	188	5828	120/11.02.2021
February,2021	28	31.25 Per Hour	188	5264	124/06.03.2021
March,2021	31	31.25 Per Hour	188	5828	129/06.04.2021
April,2021	30	31.25 Per Hour	188	5640	135/04.05.2021
May,2021	31	31.25 Per Hour	188	5828	141/02.06.2021
June,2021	30	38 Per Hour	228	6840	145/06.07.2021
Wages Arrear 01.04.20 to 31.05.21	...	38 Per Hour	.....	9592	146/13.07.2021
July,2021	31	38 Per Hour	228	7068	150/04.08.2021
August,2021	31	38 Per Hour	228	7068	153/03.09.2021
September,2021	30	38 Per Hour	228	6840	156/05.10.2021
Ocober,2021	31	38 Per Hour	228	7068	158/03.11.2021
November,2021	30	38 Per Hour	228	6840	164/02.12.2021
December,2021	31	38 Per Hour	228	7068	171/06.01.2022
January,2022	31	38 Per Hour	228	7068	174/05.02.2022
February,2022	28	38 Per Hour	228	6384	177/10.03.2022
March,2022	31	38 Per Hour	228	7068	180/12.04.2022

April,2022	30	38 Per Hour	228	6840	188/05.05.2022
May,2022	31	38 Per Hour	228	7068	191/03.06.2022
June,2022	30	38 Per Hour	228	6840	194/05.07.2022
July,2022	31	38 Per Hour	228	7068	199/02.08.2022
August,2022	31	38 Per Hour	228	7068	204/03.09.2022
September,2022	30	38 Per Hour	228	6840	208/04.10.2022
October, 2022	31	38 Per Hour	228	7068	211/01.11.2022
November,2022	30	38 Per Hour	228	6840	214/01.12.2022
December,2022	31	38 Per Hour	228	7068	219/06.01.2023
January,2023	31	38 Per Hour	228	7068	224/03.02.2023
February,2023	28	38 Per Hour	228	6384	228/03.03.2023
March,2023	31	38 Per Hour	228	7068	237/04.04.2023
April,2023	30	38 Per Hour	228	6840	240/01.05.2023
May,2023	31	38 Per Hour	228	7068	245/01.06.2023
June,2023	30	38 Per Hour	228	6840	251/06.07.2023
July,2023	31	38 Per Hour	228	7068	254/01.08.2023
August,2023	31	47 Per Hour	282	8742	262/02.09.2023
Arrear 04/23 to 07/23	...	....	...	6588	262/02.09.2023
September,2023	30	47 Per Hour	282	8460	269/05.10.2023
October, 2023	31	47 Per Hour	282	8742	272/02.11.2023
November,2023	30	47 Per Hour	282	8460	278/02.12.2023
December,2023	31	47 Per Hour	282	8742	283/03.01.2024
January,2024	31	47 Per Hour	282	8742	287/05.02.2024
February,2024	29	47 Per Hour	282	8178	292/05.03.2024
Total:				**410760**	

20.11.24

Chief Executive Officer
Panchayat Samiti Shilla
Distt. Sirmour (H.P.)

- 29 -

परिशिष्ट -5, पैरा सं० 11.1.

स्टोर/स्टॉक का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को बारे।

Sr. No.	Financial Year	Scheme	Name of work/Head	Voucher No./ Dt./Payment advice No./Dt./ C.B.P. No./ Dt.	Bill No./ Dt.	Supplier	Description	Qty (Kgs/ C.mtr/ No.)	Rate (₹)	Paid amt. (₹)
1	2020-21	Own Sources	Office Expenses	87/6.7.2020	416/9.11.2019	Ravi Computer Services	Laptop batter HP 240	1	2200	
	2020-21	Own Sources	Office Expenses	87/6.7.2020	416/9.11.2019	Ravi Computer Services	Laptop key board	1	1950	4150
2	2021-22	Own Sources	Office Expenses	201/17.8.2022	89/14.3.2022	Arjun Electronics	Cona Remote Bell	2	1000	2000
3	2022-23	XVFC	C/o Toilet GSSS Kota Pab	41/27/08/2022	71/08-07-2022	Thakur Hardware Store	Sheet, Pipe etc.	2, 1,2,2,	800, 150, 400 + GST 18%	4130
4	2022-23	XVFC	C/o Drkinking Water Rabad Pipe Line Kuhant Khale to SC Basti Ghaighat	42/27/08/2022	01/08-05-2022	Thakur Hardware Store	PVC pipe -20mm	1470	42.37+ GST 18%	73500
							कुल			83780

Section Officer
State Audit Department,
Shimla-9, H.P.

30

परिशिष्ट - 6, पैरा सं० - 11.2

विवरण- स्टॉक प्राप्ति /निर्गमन बारे ।

Sr. No.	Financial Year	Scheme	Name of work/Head	Voucher No./ Dt./Payment advice No./Dt./ C.B.P. No./ Dt.	Bill No./ Dt.	Supplier	Description	Qty (Kgs/ C.mtr/ No.)	Rate (₹)	Paid amt. (₹)
1	2022-23	XVFC	C/o Drinking Water Store tank Bobri GP Bali Koti	51/29/08/2022	03/01-08-2022	108 नामो वाली जय माँ ठारी	Sand	3	3000+ GST 5%	
2	2022-23	XVFC	C/o Drinking Water Store tank Bobri GP Bali Koti	51/29/08/2022	03/01-08-2022	108 नामो वाली जय माँ ठारी	20mm Aggregate	4	3000+ GST 5%	22050
3	2022-23	XVFC	C/o Community Pragan Mojadi	52/29/08/2022	04/01-08-2022	108 नामो वाली जय माँ ठारी	Sand	5.5	3000+ GST 5%	
4	2022-23	XVFC	C/o Community Pragan Mojadi	52/29/08/2022	04/01-08-2022	108 नामो वाली जय माँ ठारी	20mm Aggregate	1.5	3000+ GST 5%	
5	2022-23	XVFC	C/o Community Pragan Mojadi	52/29/08/2022	04/01-08-2022	108 नामो वाली जय माँ ठारी	Stone	16	1200+ GST 5%	42210
6	2022-23	XVFC	C/o Community Pragan Panjod	53/29/08/2022	02/01-08-2022	108 नामो वाली जय माँ ठारी	Sand	7	3000+ GST 5%	
7	2022-23	XVFC	C/o Community Pragan Panjod	53/29/08/2022	02/01-08-2022	108 नामो वाली जय माँ ठारी	Aggregate	1.5	3000+ GST 5%	
8	2022-23	XVFC	C/o Community Pragan Panjod	53/29/08/2022	02/01-08-2022	108 नामो वाली जय माँ ठारी	Stone	19	1200+ GST 5%	50715
9	2022-23	XVFC	C/o Community Pragan Bali	54/29/08/2022	14/03-08-2022	108 नामो वाली जय माँ ठारी	Sand	17	3000+ GST 5%	
10	2022-23	XVFC	C/o Community Pragan Bali	54/29/08/2022	14/03-08-2022	108 नामो वाली जय माँ ठारी	Aggregate	8	3000+ GST 5%	
11	2022-23	XVFC	C/o Community Pragan Bali	54/29/08/2022	14/03-08-2022	108 नामो वाली जय माँ ठारी	Stone	39	1200+ GST 5%	
12	2022-23	XVFC	C/o Community Pragan Bali	54/29/08/2022	14/03-08-2022	108 नामो वाली जय माँ ठारी	Soiling Stone	10.5	1200+ GST 5%	141120
13	2022-23	XVFC	C/o Playground GSSS Koti Bounch	55/29/08/2022	07/02-08-2022	108 नामो वाली जय माँ ठारी	Sand	13	3000+ GST 5%	
14	2022-23	XVFC	C/o Playground GSSS Koti Bounch	55/29/08/2022	07/02-08-2022	108 नामो वाली जय माँ ठारी	40mm Aggregate	3	3000+ GST 5%	
15	2022-23	XVFC	C/o Playground GSSS Koti Bounch	55/29/08/2022	07/02-08-2022	108 नामो वाली जय माँ ठारी	Stone	35	1200+ GST 5%	91350
						कुल				347445

31

Section Officer
State Audit Department,
Shimla-9, H.P.

परिशिष्ट - 7, पैरा सं० 12.2

विवरण- प्राक्कलन, प्रशासनिक अनुमोदन/तकनीकी मंजूरी और वित्तीय मंजूरी व माप पुस्तिकाएं प्रस्तुत करने बारे।

Sr. No.	Financial Year	Scheme	Name of work/Head	Voucher No./ Dt./Payment advice No./Dt./ C.B.P. No./ Dt.	Bill No./ Dt.	Supplier	Description	Qty (Kgs/ C.mtr/ No.)	Rate (₹)	Paid amt. (₹)
1	2022-23	XVFC	C/o Dust bin Gram Panchayat Koti Bounch	45/29/08/2022	13/03-08-2022	108 नामो वाली जय माँ ठारी	Sand	7	3000+ GST 5%	
	2022-23	XVFC	C/o Dust bin Gram Panchayat Koti Bounch	45/29/08/2022	13/03-08-2022	108 नामो वाली जय माँ ठारी	40mm Aggregate	1.5	3000+ GST 5%	
	2022-23	XVFC	C/o Dust bin Gram Panchayat Koti Bounch	45/29/08/2022	13/03-08-2022	108 नामो वाली जय माँ ठारी	Stone	17	1200+ GST 5%	48195
2	2022-23	XVFC	C/o Drinking Water Store tank Bobri GP Bali Koti	51/29/08/2022	03/01-08-2022	108 नामो वाली जय माँ ठारी	Sand	3	3000+ GST 5%	
	2022-23	XVFC	C/o Drinking Water Store tank Bobri GP Bali Koti	51/29/08/2022	03/01-08-2022	108 नामो वाली जय माँ ठारी	20mm Aggregate	4	3000+ GST 5%	22050
3	2022-23	XVFC	C/o Community Pragan Mojadi	52/29/08/2022	04/01-08-2022	108 नामो वाली जय माँ ठारी	Sand	5.5	3000+ GST 5%	
	2022-23	XVFC	C/o Community Pragan Mojadi	52/29/08/2022	04/01-08-2022	108 नामो वाली जय माँ ठारी	20mm Aggregate	1.5	3000+ GST 5%	
	2022-23	XVFC	C/o Community Pragan Mojadi	52/29/08/2022	04/01-08-2022	108 नामो वाली जय माँ ठारी	Stone	16	1200+ GST 5%	42210
	2022-23	XVFC	C/o Community Pragan Bali	54/29/08/2022	14/03-08-2022	108 नामो वाली जय माँ ठारी	Sand	17	3000+ GST 5%	
	2022-23	XVFC	C/o Community Pragan Bali	54/29/08/2022	14/03-08-2022	108 नामो वाली जय माँ ठारी	Aggregate	8	3000+ GST 5%	
	2022-23	XVFC	C/o Community Pragan Bali	54/29/08/2022	14/03-08-2022	108 नामो वाली जय माँ ठारी	Stone	39	1200+ GST 5%	
	2022-23	XVFC	C/o Community Pragan Bali	54/29/08/2022	14/03-08-2022	108 नामो वाली जय माँ ठारी	Soiling Stone	10.5	1200+ GST 5%	141120
4	2022-23	XVFC	C/o Playground GSSS Koti Bounch	55/29/08/2022	07/02-08-2022	108 नामो वाली जय माँ ठारी	Sand	13	3000+ GST 5%	
	2022-23	XVFC	C/o Playground GSSS Koti Bounch	55/29/08/2022	07/02-08-2022	108 नामो वाली जय माँ ठारी	40mm Aggregate	3	3000+ GST 5%	
	2022-23	XVFC	C/o Playground GSSS Koti Bounch	55/29/08/2022	07/02-08-2022	108 नामो वाली जय माँ ठारी	Stone	35	1200+ GST 5%	91350
						कुल				**344925**

32

Section Officer
State Audit Department,
Shimla-9, H.P.

परिशिष्ट - 8, पैरा सं. "1.2.3"

-32-

विवरण- ट्रांजिट पास (फार्म डब्लयू) या सप्लीमेन्ट्री पास (फार्म-एक्स) प्रस्तुत करने बारे।

Sr. No.	Financial Year	Scheme	Name of work/Head	Voucher No./ Dt./Payment advice No./Dt./ C.B.P. No./ Dt.	Bill No./ Dt.	Supplier	Description	Qty (Kgs/ C.mtr/ No.)	Rate (₹)	Paid amt. (₹)
1	2022-23	XVFC	C/o RWHT Panchayat Koti Bounch	44/29/08/2022	08/03-08-2022	108 नामो वाली जय माँ ठारी	Sand	2	3000 + GST 5%	
	2022-23	XVFC	C/o RWHT Panchayat Koti Bounch	44/29/08/2022	08/03-08-2022	108 नामो वाली जय माँ ठारी	20mm Aggregate	3	3000 + GST 5%	15750
2	2022-23	XVFC	C/o Dust bin Gram Panchayat Koti Bounch	45/29/08/2022	13/03-08-2022	108 नामो वाली जय माँ ठारी	Sand	7	3000+ GST 5%	
	2022-23	XVFC	C/o Dust bin Gram Panchayat Koti Bounch	45/29/08/2022	13/03-08-2022	108 नामो वाली जय माँ ठारी	40mm Aggregate	1.5	3000+ GST 5%	
	2022-23	XVFC	C/o Dust bin Gram Panchayat Koti Bounch	45/29/08/2022	13/03-08-2022	108 नामो वाली जय माँ ठारी	Stone	17	1200+ GST 5%	48195
3	2022-23	XVFC	C/o Toilet GPS Drabil	46/29/08/2022	11/03-08-2022	108 नामो वाली जय माँ ठारी	Sand	5	3000+ GST 5%	
	2022-23	XVFC	C/o Toilet GPS Drabil	46/29/08/2022	11/03-08-2022	108 नामो वाली जय माँ ठारी	20mm Aggregate	3	3000+ GST 5%	25200
4	2022-23	XVFC	C/o Pacca Rasta and P/Wall Durga W/o Neeta Ram Mohan Singh Village Kunhant	47/29/08/2022	16/03-08-2022	108 नामो वाली जय माँ ठारी	Sand	6.5	3000+ GST 5%	
	2022-23	XVFC	C/o Pacca Rasta and P/Wall Durga W/o Neeta Ram Mohan Singh Village Kunhant	47/29/08/2022	16/03-08-2022	108 नामो वाली जय माँ ठारी	20mm Aggregate	12.5	3000+ GST 5%	
	2022-23	XVFC	C/o Pacca Rasta and P/Wall Durga W/o Neeta Ram Mohan Singh Village Kunhant	47/29/08/2022	16/03-08-2022	108 नामो वाली जय माँ ठारी	Stone	40	1200+ GST 5%	110250
5	2022-23	XVFC	C/o Drkinking Water Rabad Pipe Line Kuhant Khale to SC Basti Ghaighat	48/29/08/2022	05/01-08-2022	108 नामो वाली जय माँ ठारी	Sand	3.5	3000+ GST 5%	
	2022-23	XVFC	C/o Drkinking Water Rabad Pipe Line Kuhant Khale to SC Basti Ghaighat	48/29/08/2022	05/01-08-2022	108 नामो वाली जय माँ ठारी	Aggregate	3.5	3000+ GST 5%	22050

6	2022-23	XVFC	C/o Toilet GSSS Kota Pab	49/29/08/2022	20/03-08-2022	108 नामो वाली जय माँ ठारी	20mm Aggregate	3.5	3000+ GST 5%	
	2022-23	XVFC	C/o Toilet GSSS Kota Pab	49/29/08/2022	20/03-08-2022	108 नामो वाली जय माँ ठारी	Sand	19	3000+ GST 5%	70875
7	2022-23	XVFC	C/o Drinking Water Store tank Bobri GP Bali Koti	51/29/08/2022	03/01-08-2022	108 नामो वाली जय माँ ठारी	Sand	3	3000+ GST 5%	
	2022-23	XVFC	C/o Drinking Water Store tank Bobri GP Bali Koti	51/29/08/2022	03/01-08-2022	108 नामो वाली जय माँ ठारी	20mm Aggregate	4	3000+ GST 5%	22050
8	2022-23	XVFC	C/o Community Pragan Mojadi	52/29/08/2022	04/01-08-2022	108 नामो वाली जय माँ ठारी	Sand	5.5	3000+ GST 5%	
	2022-23	XVFC	C/o Community Pragan Mojadi	52/29/08/2022	04/01-08-2022	108 नामो वाली जय माँ ठारी	20mm Aggregate	1.5	3000+ GST 5%	
	2022-23	XVFC	C/o Community Pragan Mojadi	52/29/08/2022	04/01-08-2022	108 नामो वाली जय माँ ठारी	Stone	16	1200+ GST 5%	42210
9	2022-23	XVFC	C/o Community Pragan Panjod	53/29/08/2022	02/01-08-2022	108 नामो वाली जय माँ ठारी	Sand	7	3000+ GST 5%	
	2022-23	XVFC	C/o Community Pragan Panjod	53/29/08/2022	02/01-08-2022	108 नामो वाली जय माँ ठारी	Aggregate	1.5	3000+ GST 5%	
	2022-23	XVFC	C/o Community Pragan Panjod	53/29/08/2022	02/01-08-2022	108 नामो वाली जय माँ ठारी	Stone	19	1200+ GST 5%	50715
10	2022-23	XVFC	C/o Community Pragan Bali	54/29/08/2022	14/03-08-2022	108 नामो वाली जय माँ ठारी	Sand	17	3000+ GST 5%	
	2022-23	XVFC	C/o Community Pragan Bali	54/29/08/2022	14/03-08-2022	108 नामो वाली जय माँ ठारी	Aggregate	8	3000+ GST 5%	
	2022-23	XVFC	C/o Community Pragan Bali	54/29/08/2022	14/03-08-2022	108 नामो वाली जय माँ ठारी	Stone	39	1200+ GST 5%	
	2022-23	XVFC	C/o Community Pragan Bali	54/29/08/2022	14/03-08-2022	108 नामो वाली जय माँ ठारी	Stone	10.5	1200+ GST 5%	141120
11	2022-23	XVFC	C/o Playground GSSS Koti Bounch	55/29/08/2022	07/02-08-2022	108 नामो वाली जय माँ ठारी	Sand	13	3000+ GST 5%	
	2022-23	XVFC	C/o Playground GSSS Koti Bounch	55/29/08/2022	07/02-08-2022	108 नामो वाली जय माँ ठारी	40mm Aggregate	3	3000+ GST 5%	
	2022-23	XVFC	C/o Playground GSSS Koti Bounch	55/29/08/2022	07/02-08-2022	108 नामो वाली जय माँ ठारी	Stone	35	1200+ GST 5%	91350
						Total				**639765**

34

Section Officer
State Audit Department,
Shimla-9, H.P.